29

न्यायालय श्रीमान म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग - 3466 - I - 16

श्रीमति रामकली पुत्री चुन्टा अहीर
पत्नि बाबूलाल यादव
यादव कालोनी सटई रोड छतरपुर

निगराकार

विरूद्ध

1. जितेन्द्र सिंह चौहान पिता सुरेन्द्र सिंह चौहान
निवासी नौगांव जिला छतरपुर
2. नारायण काले पिता महेश्वर काले
न्यू कालोनी छतरपुर
3. विवेक निधि घोष तनय हरीसिंह घोष
बसारी दरवाजा छतरपुर

प्रतिनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 1959

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्र. 27/अ–3/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2016 एवं 24.09.2016 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान के प्रस्तुत है।

1. भूमि स्थित छतरपुर खसरा क्र. 3420 लगायत 3431, 3434 से 3436 तक व 3485 कुल किता 16 एकत्र रकवा 39.51 एकड़ प्रकरण में विवादित भूमि है जिसके नामांतरण के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय सागर के द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरण माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा द्वितीय अपील 48अ/6/96–97 में पारित आदेश 24.04.1999 के द्वारा निगराकार के अधिकारों का निर्णय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के द्वारा तय किया जाना है। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है – संलग्न अंकसूची अ में उल्लेखित भूमि निगराकार के पिता की भूमि थी जिसे प्रतिनिगराकार क्र0 2 के पिता के द्वारा वर्ष 1987 में बिना किसी अधिकार के अपने नाम घोषित करवाने हेतु तहसीलदार छतरपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जहां 14.10.1987 को संपूर्ण भूमि महेश्वरराव काले के नाम कर दी गई इससे व्यथित होकर अपीलार्थी कौशल किशोर शुक्ला द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की उक्त प्रकरण में कौशल किशोर शुक्ला द्वारा बैक के कर्ज के संबंध में निगराकार की भूमि तत्कालीन नीलामी में प्राप्त की थी। जहां पर माननीय

(नितेन्द्र सिंघई एड. 94251-71223)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3466-I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	1– आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अतंर्गत तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 27/अ–3/2015–16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन हेतु आवेदन पत्र के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार छतरपुर द्वारा केवल प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तहसीलदार छतरपुर द्वारा अभी प्रकरण में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है मात्र आवेदक को सूचना पत्र जारी किया गया है। आवेदक को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर प्राप्त है इस कारण से यह निगरानी प्रचलन योग्य ना होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	